

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 961

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

एनएच-66 की सर्विस रोड

961. श्री एम. के. राघवन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दोपहिया वाहनों को उनके इंजन विस्थापन के आधार पर एनएच-66 पर चलने की अनुमति देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केरल में एनएच-66 की सर्विस सड़कों की चौड़ाई अन्य राज्यों की तुलना में कम है, जिसके परिणामस्वरूप एनएच-66 के चालू होने के बाद सर्विस रोड पर अक्सर यातायता जाम होता है और यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) एनएच-66 पर दोपहिया वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और भीड़-भाड़ को कम करने के लिए दोपहिया वाहनों सहित स्थानीय वाहनों के आवागमन के लिए बस्ती क्षेत्र में सर्विस रोड का भी प्रावधान किया गया है।

(ख) एनएच-66 के विकास की परिकल्पना 45 मीटर के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के भीतर बस्ती क्षेत्रों में दोनों तरफ सर्विस रोड के साथ 4/6 लेन के मुख्य कैरिजवे के रूप में की गई है। आरओडब्ल्यू की सीमित उपलब्धता के कारण सर्विस रोड की चौड़ाई 5.5 मीटर से 7 मीटर तक है।

\*\*\*\*\*